न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 132/2018

पीठासीन अधिकारी

करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सीताराम उम्र 52 वर्ष पुत्र गीगाराम जाति माली निवासी बाण्डिया नला ग्राम गुढ़गौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भूमि धारक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी पीठासीन अधिकारी शिवपाल जाट आर.ए.एस. बउनवानी प्रकरण सीताराम बनाम भूमिधारक दावा बाबत घोषणार्थ मुकदमा नम्बर 80/2018

उपस्थित

1. श्री बनवारी लाल सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 10-1-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा दावा संख्या 80/2018 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष गत खसरा नम्बर 1796/2,1796 मिन रकबा 10 बीघा वाके ग्राम गुढ़ा गौडजी वर्तमान खसरा नम्बर 2050,2052,2054 की खातेदारी की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने 2 तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पुराना खसरा नम्बर 1796 में 10 बीघा भूमि अपीलांट के पिता को अलोट हुई जिसका नामान्तकरण संख्या 745 दिनांक 06.08.1976 प्रदर्श 1 है जमाबंदी संवत 2031 से 2034 नामान्तकरण की पुष्टि हो गई। खसरा गिरदावरी सवंत 2032 से 2035 में कॉलम संख्या 41 में 10 बीघा भूमि पर गीगा पुत्र चन्द्रा अपीलांट के पिता की कास्त दर्ज है। आवंटन 21.02.1966 का है मिशल बन्दोबस्त में विवादित भूमि सिवाय चक पड़त कृषि रहित बंजड़ दर्ज है वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य था विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का विधि सम्मत विवेचन किये बिना वाद वादी खारिज किया है। अत अपील स्वीकार किया जायें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
सीकर (कम झुन्झुनू)

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की किस्म झाड़ीदार वन बंजर दर्ज रिकार्ड है अपीलांट के पिता के नाम आंवटन का कोई आधार साक्ष्य में अपीलांट ने पेश नही किया है। भू–प्रबंध विभाग ने अपीलांट का कब्जा नही होने से राजकीय भूमि दर्ज करने में कोई त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर वाद वादी खारिज किया है जो विधि सम्मत है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में वादी अपीलांट के पिता को विवादित भूमि 1966 में आंवटित हुई थी जिसके समर्थन में पत्रावली में नामान्तकरण संख्या 745 दिनांक 06.08. 1976 की सत्यप्रति प्रदर्श 1 के रूप में उपलब्ध है इस नामान्तकरण में विवादित भूमि पटवारी, आई.एल.आर. की रिपोर्ट के उपरान्त मूल अलोटमेंट आदेश नामान्तकरण के साथ संलग्न करना अंकित कर संरपच द्वारा तस्दीक किया गया है। खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 संवत 2032 से 2035 में कॉलम संख्या 41 में 10 बीघा भूमि गिगा पुत्र चन्द्रा के नाम 21. 02.1966 को अलोटमेंट होना अंकित है। इस भूमि में गिरदावरी में मूंग, चवला की काश्त दर्ज है। भूमि की किश्म बंजर पड़त दर्ज है जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में विवादित भूमि की किश्म बंजर डोल दर्ज है जमाबंदी संवत 2031 से 2034 प्रदर्श 2 में विवादित भूमि कॉलम संख्या 5 में झाडीदार वन दर्ज है जिसकी किस्म बंजर खेदड़ दर्ज है कॉलम नम्बर 16 में ई.–न– 745 मिन नम्बर 1796 गीगा के 10 बीघा का अंकन है। विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिपोर्ट में भी विवादित भूमि 1966 में आंवटन होना एवं नामान्तकरण संख्या 745 दर्ज होना स्वीकार किया गया है।

Leave

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय ने तहसीलदार उदयपुरवाटी के जवाब दावे को आधार बनाकर वादी का वाद खारिज किया है जब विवादित भूमि अपीलांट के पिता गीगा को 1966 में आंवटित होने एवं उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 745 दिनांक 30.08.1976 प्रदर्श 1 तस्दीक होना साबित है एवं इस तथ्य का अंकन जमांबदी संवत 2031 से 2034 में कॉलम नम्बर 16 में होना प्रमाणित है। खसरा गिरदावरी संवत 2032 से 2035 में विवादित भूमि पर अपीलांट के पिता गीगा की मूंग, चवला की कास्त दर्ज है एवं कॉलम संख्या 41 में 1966 में 10 बीघा भूमि अपीलांट के पिता गीगा पुत्र चन्द्रा को आंवटित होने का अंकन है। ऐसी स्थिति में बिना समक्ष न्यायालय के आदेश के भू–प्रबंध विभाग द्वारा विवादित भूमि की किस्म झाडीदार वन अंकित करना भू–प्रबंध विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर की गई कार्यवाही है अपीलांट के पिता को किये गये आंवटन को किसी भी आदेश से निरस्त किया गया हो ऐसा कोई कथन अथवा ऐसा कोई आदेश विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अपीलांट के पिता के नाम तस्दीक नामान्तकरण संख्या 745 को किसी भी स्तर पर चुनौति दी गई हो अथवा इसे खारिज किया गया हो ऐसा भी कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय की पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से वादी का वाद साबित है केवल मात्र तहसीलदार के जवाब के आधार पर वादी का वाद साबित नही मानना विधि विरूद्व है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार कर गत खसरा नम्बर 1796/2, 1796 मिन रकबा 10 बीघा भूमि ग्राम गुढ़ागौडजी जिसका नामान्तकरण संख्या 745 दिनांक 06.08.1976 वादी के पिता गीगा राम पुत्र चन्द्राराम के नाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्ट्र अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तस्दीक हुआ है, इसके हाल खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 2052 रकबा 0.37 हैक्टेयर व 2054 रकबा 1.20 हैक्टेयर कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर का वादी सीताराम पुत्र गीगाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जायें पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10-1-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

10.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर